राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–58 / 2023
राम नरेश वदिक बनाम् उषा देवी।

यह वाद श्री राम नरेश वदिक, पिता–श्री बिन्दु प्रसाद, ग्राम–सुरसंड उत्तरी, वार्ड संख्या–14, पो0–सुरसंड, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी द्वारा श्रीमती उषा देवी पति–जयलाल मुख्या, पता–वार्ड संख्या–11, नगर पंचायत सुरसंड, पो0+थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11), के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11 नगर पंचायत सुरसंड, पो0+थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री राम नरेश वदिक का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री उपेन्द्र पंडित, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल तीन संतान जिसमें दो संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के उपरांत हुआ है। इस संबंध में उनके द्वारा संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति भी दायर की गई थी, परन्तु उनके आपत्ति पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में गलत सूचना अंकित की गई कि उन्हें केवल दो संतान(एक पुत्र एवं एक पुत्री) है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी को कुल– 03 संतान है, जिसमें से सोनी कुमारी एवं आयुष कुमार का जन्म दिनांक– 04.04.2008 के उपरांत हुआ है। आगे उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप सोनी कुमारी का आधार कार्ड (संख्या–7929 6627 5873) आयोग को दिखाया गया, जिसमें उनकी जन्मतिथि–30.08.2017 अंकित है। आगे उनके द्वारा आयुष कुमार का आधार कार्ड (संख्या–9919 2353 1128) का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें जन्मतिथि दिनांक–29.03.2019 अंकित है। अपने दावें के पुष्टि हेतु उनके द्वारा प्रतिवादी के उक्त दोनों संतानों सोनी कुमारी तथा आयुष कुमार का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसंड से निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनकी जन्मतिथि क्रमशः दिनांक–30.08.2017 एवं दिनांक–29.03.2019 ही अंकित पाई गई, जो उनके आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि के समान है।

आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के तीसरे संतान का नाम टोनू कुमार है। अपने दावें की पुष्टि हेतु आँगनबाड़ी केन्द्र, दैनिक पंजी की छायाप्रति का अवलोकन उनके द्वारा कराया गया, जिसमें टोनू कुमार के पिता का नाम श्री जयलाल मुखिया अंकित है। उनके द्वारा इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि श्री जयलाल मुखिया प्रतिवादी के पति है तथा तीनों संतानों के पिता के रूप में जयलाल मुखिया का नाम ही अंकित है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि तीसरे संतान टोनू कुमार का जन्म प्रमाण–पत्र भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसंड से निर्गत कराया गया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि–11.01.2016 अंकित है तथा पिता का नाम जयलाल मुखिया अंकित है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि स्वयं जयलाल मुखिया द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सुरसंड को दिनांक–27.09.2023 को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके दो पुत्र एवं एक पुत्री है। उनमें से एक पुत्र को स्वेच्छा से एक पुत्र को पदार्थ मुखिया को गोद दे दिया है। अतः लाल मोहन कुमार के जन्म प्रमाण–पत्र में माता–पिता का नाम बदलने की कृपा की जाए।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला प्रशासन जाँच में भी यह पाया गया है कि प्रतिवादी को तीन संतान है। अतः उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत प्रतिवादी को पदमुक्त करने तथा तथ्य छुपाने एवं शपथ–पत्र हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा जो भी अभिलेख दिए गए है, वो उनके द्वारा Create किया गया है। आधार कार्ड एवं आँगनबाड़ी सेविका के प्रतिवेदन के आधार पर किसी की जन्मतिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

उनके द्वारा अपने लिखित जवाब में इस तथ्य को उजागर किया है कि आयोग केवल निर्विवाद साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई/सुनवाई कर सकता है। इस संबंध में उनके द्वारा रजनी कुमारी वाद एवं सरयुग मोची वाद का उद्धरण अपने लिखित जवाब में दिया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वर्ष–2017 एवं वर्ष–2019 में जन्म लेने वाले संतानों का जन्म प्रमाण–पत्र वर्ष–2020 के निर्गत है, जबकि वर्ष–2016 में जन्म लेने वाले लाल मोहन का जन्म प्रमाण–पत्र वर्ष–2023 में निर्गत है। इन प्रमाण–पत्रों के विधिवत् निर्गत किए जाने के संबंध में संशय है, अतः इनको निर्विवाद साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–11/जि0सा0, दिनांक–03.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–

"ii. वादी श्री राम नरेश वदिक द्वारा दिनांक–26.10.2023 को सुनवाई के क्रम में बताया गया कि श्रीमती उषा देवी की तीसरे पुत्र का नाम लाल मोहन कुमार है, जिसका जन्म प्रमाण–पत्र उनके द्वारा समर्पित किया गया था। उक्त के आलोक में दिनांक–28.10.2023 को जाँच के क्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड के द्वारा उपलब्ध कराए गए, प्रसव पंजी एवं जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर पाया गया कि लाल मोहन कुमार, सोनी कुमारी तथा आयुष कुमार, श्रीमती उषा देवी, पिता–श्री जयलाल मुखिया, वार्ड संख्या–11, थाना–सुरसण्ड के संतान है। जन्म प्रमाण–पत्र की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	बच्चे का नाम	माता एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	प्रसव की तिथि	प्रसव का स्थान	जन्म प्रमाण–पत्र सं0	अभ्युक्ति
01.	लाल मोहन कुमार	श्रीमती उषा देवी, पति–श्री जयलाल मुखिया	11.01.2016	11.01.2016	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड	132	
02.	सोनी कुमारी	श्रीमती उषा देवी, पति–श्री जयलाल मुखिया	30.08.2017	30.08.2017	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड	2787	
03.	आयुष कुमार	श्रीमती उषा देवी, पति–श्री जयलाल मुखिया	29.03.2019	29.03.2019	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड	897	

इसकी पुष्टि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड के पत्रांक–587(RKS), दिनांक–28.10.2023 के माध्यम से किया गया है (प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड का प्रतिवेदन पत्रांक–587(RKS), दिनांक–28.10.2023, प्रसव पंजी एवं जन्म प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न)।

iii. दिनांक–28.10.2023 को महिला पर्यवेक्षिका, प्रखण्ड–सुरसण्ड के द्वारा उपलब्ध कराए गए, समेकित बाल विकास परियोजना कोड संख्या–86 की दैनिक उपस्थिति–पंजी के जाँच में पाया गया कि माह–मई, 2023 की दैनिक उपस्थिति–पंजी में क्रमांक–24 पर सोनी कुमारी, पिता–श्री जयलाल मुखिया, माह–जून, 2023 की उपस्थिति–पंजी में क्रमांक–30 पर आयुष कुमारी, पिता–श्री जयलाल मुखिया तथा माह–जुलाई, 2021 की उपस्थिति में टोनु कुमार, पिता–श्री जयलाल मुखिया, का नाम दर्ज है। इस प्रकार दैनिक उपस्थिति पंजी अंकित तीनों संतानों में पिता–श्री जयलाल मुखिया का नाम दर्ज है।"

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती उषा देवी (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11, नगर पंचायत सुरसंड, सीतामढ़ी) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के होने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11, नगर पंचायत सुरसंड, सीतामढ़ी के पद पर निर्वाचित हो गई है।"

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में संतानों की संख्या के संबंध गलत सूचना अंकित की गई है। वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का सत्यापन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सही पाया गया है। यद्यपि तीनों संतानों का जन्म प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि उनके जन्म के वर्ष के बाद की है तथापि इनका पंजीकरण बच्चों के जन्मतिथि से हु–ब–हु मेल खाती है, अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड के जन्म–मृत्यु पंजी में बच्चों की जन्मतिथि उनके वास्तविक जन्मतिथि के समान है। पुनः प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि वादी द्वारा इन जन्म प्रमाण–पत्रों को Create किया गया है, क्योंकि अपने आरोपों के साक्ष्य में इनके द्वारा कोई Substantive प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। यह भी अंकनीय है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड से निर्गत तीनों जन्म प्रमाण–पत्र सत्यापन में सही पाए गए है एवं एक संतान "लाल मोहन कुमार" के माता–पिता का नाम बदलने हेतु आवेदन स्वयं प्रतिवादी के पति श्री जयलाल मुखिया द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि सोनी कुमारी, आयुष कुमार एवं टोनू कुमार उर्फ लाल मोहन कुमार श्री जयलाल मुखिया के संतान है, जो कि श्रीमती उषा देवी के पति है। आँगनबाड़ी में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य Public Document के श्रेणी में आते है। अतः साक्ष्य के रूप में इनके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संदर्भित रजनी कुमारी वाद एवं सरयुग मोची वाद से यह वाद आच्छादित नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी के तीनों संतानों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरसण्ड से निर्गत सत्यापित जन्म प्रमाण–पत्र केस रेकर्ड पर उपलब्ध है, जिसको प्राथमिक एवं निर्विवाद साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ सहायक साक्ष्य यथा–आधार कार्ड एवं आँगनबाड़ी केन्द्र के अभिलेख भी प्रमाणित करते है कि प्रतिवादी को दो से अधिक जीवित संतान है, चूँकि तीनों संतानों की जन्मतिथि Cutt of Date- 04.04.2008 के उपरांत ही पाई गई है। अतः इस वाद में संतानों की संख्या के निर्धारण मात्र से यह प्रमाणित हो गया है कि वादी का आरोप सत्य है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती उषा देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11, नगर पंचायत सुरसंड, सीतामढ़ी के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित

घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11, नगर पंचायत सुरसंड, सीतामढ़ी के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11, नगर पंचायत सुरसंड, सीतामढ़ी का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को श्रीमती उषा देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत कार्रवाई करते हुए, आयोग को कृत कार्रवाई से अवगत कराने का आदेश दिया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पांदित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.05.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.05.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–58/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–58/2023 2425 पटना, दिनांक–30.5.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सीतामढ़ी**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सीतामढ़ी** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सीतामढ़ी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

30/5/24
विशेष कार्य पदाधिकारी